

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-12.05.2023

सेवा में,

MS JAMSHEDPUR RESOURCES PVT. LTD,
DIRECTOR VIVEK KEJRIWAL,
H.NO-64, RAM LAKHAN NIWAS, O RAOD, GURUDWARA BASTI,
BISTUPUR, JAMSHEDPUR.

विषय:- मौजा-DUGNI, BLOCK:- SARAIKELA, प्लॉट नं0-SURVEY PLOT NO-43/A, खाता नं0-529, वार्ड नं0-N/A, थाना-सरायकेला-199, जिला-सरायकेला-खरसावाँ में प्रस्तावित फैक्ट्री भवन निर्माण हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार संबंधित प्रस्तावित फैक्ट्री भवन की जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, आदित्यपुर के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक-202 दिनांक-11.05.2023 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में डाउनलोड किये गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित फैक्ट्री भवन हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्रस्तावित फैक्ट्री के सामनेवाले भाग में कम से कम 1,00,000 लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण अग्निशमन कार्य हेतु ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से पानी लिये जाने हेतु Fire Service Draw-Out Connection दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. फैक्ट्री भवन के चारों तरफ 150 mm डायामेटर का रिंग मेन्स का निर्माण कराया जाय। जिसमें प्रत्येक 30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक-एक यार्ड हाईड्रैण्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाय। यार्ड हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स की संस्थापन कराया जाय।
4. फैक्ट्री के भण्डार क्षेत्र को स्वचालित स्प्रिंकलर विथ अलार्म गॉंग से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
5. फैक्ट्री भवन के सभी ऑफिस को Smoke Detector System से सुरक्षित किया जाय एवं ऐसी व्यवस्था रखी जाय।
6. अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम दो अदद 2280 Lpm क्षमता वाले फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
7. 180 Lpm का जॉकी पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
8. फैक्ट्री के प्रवेश एवं निकास द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
9. फैक्ट्री भवन बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 4.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
10. फैक्ट्री भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से कराया जाय।
11. फैक्ट्री भवन में प्रति 400 वर्गमीटर के लिये कम से कम 09 Kg क्षमता वाले दो-दो अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
12. फैक्ट्री भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
13. फैक्ट्री भवन में Manually Operated Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि इसकी आवाज फैक्ट्री भवन के प्रत्येक भाग में स्पष्ट रूप से सुनाई देने में सक्षम हो।

14. फैक्ट्री भवन परिसर में एक फायर बूथ स्थापित किया जाय, जिसमें निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
 - i. DCP Fire Extinguisher 06 kg - 04 Nos.
 - ii. Fire Bucket - 04 Nos.
 - iii. Form Extinguisher 09 Ltr - 02 Nos.
 - iv. Fire Bitter - 08 Nos.
15. वैस्ट मैटेरियल के प्रतिदिन डिस्पोजल हेतु समुचित व्यवस्था की जाय।
16. Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय।
17. यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी स्थिति में ट्रेवेल डिस्टेंस 30 मीटर से अधिक नहीं हो।
18. फैक्ट्री भवन के अन्दर Electrical Warring सही तरह से अरथिंग एवं बाउडिंग कराकर रखा जाय।
19. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
20. फैक्ट्री भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
21. फैक्ट्री भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व फैक्ट्री भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
22. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
23. निर्मित भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
24. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.7 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

**JAGJEEWAN
RAM**

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL
AND DISASTER MANAGEMENT,
2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf9
0be3cc4ac5ffdd851f54d7, postalCode=834002,
st=Jharkhand,
serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a0
1d90f3ec025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2023.05.12 15:48:45 +05'30'

(जगजीवन राम)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।